



Neutral Citation No. - 2026:एचसी:55712

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 958/2026

अजय निषाद

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: पीयूष कुमार, विशाल पांडे

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 50

माननीय न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव

- अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं और अभिलेखों का अवलोकन किया।
- यह आपराधिक अपील अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए (2) के तहत विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी (पी.ए.) अधिनियम, गोरखपुर द्वारा दिनांक 05.06.2025 को पारित आक्षेपित आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है। यह आदेश मुकदमा अपराध संख्या 982/2024 में धारा 109, 333 बीएनएस और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(वी) के तहत, थाना झंग्गा, जिला गोरखपुर में पारित किया गया था।
- अभियोजन पक्ष के अनुसार, सूचनाकर्ता की बेटी पर अभियुक्त ने जान से मारने की नीयत से सिर पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप उसे गंभीर चोटें आईं।
- अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता-आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह निवेदन किया गया है कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है। आगे यह निवेदन किया गया है कि अपीलकर्ता के कब्जे से या उसके द्वारा बताए जाने पर कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि विवेचना के

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



दौरान कोई विश्वसनीय साक्ष्य एकत्र नहीं किया गया है और गिरफ्तारी ज़ापन के अनुसार, यह स्पष्ट है कि आवेदक को केवल एक सूचनादाता के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, जिसने कथित तौर पर संदेह व्यक्त किया था कि वीडियो फुटेज में दिख रहा व्यक्ति हुलिया (विवरण) के अनुसार आवेदक से मिलता-जुलता है। आगे यह निवेदन किया गया है कि अपीलकर्ता 18.12.2024 से जेल में है और उसके आपराधिक इतिहास का विधिवत स्पष्टीकरण दिया गया है। यह भी निवेदन किया गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराध गठित करने के लिए आवश्यक तत्व मौजूद नहीं हैं।

5. दूसरी ओर, विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन उक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।

6. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और आक्षेपित आदेश सहित संपूर्ण रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, सजा की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय की राय है कि अपीलकर्ता ने जमानत के लिए मामला बनाया है।

8. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है और अपीलकर्ता की जमानत याचिका खारिज करने का आक्षेपित आदेश रद्द किया जाता है।

9. उपरोक्त मामले में आरोपित अजय निषाद को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के निजी मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) अपीलकर्ता मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।

(ii) अपीलकर्ता मुकदमे के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(iii) अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।

(iv) अपीलकर्ता कोई अपराध नहीं करेगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(v) अपीलकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(vi) अपीलकर्ता प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(vii) जब गवाह अदालत में उपस्थित हों, तो अपीलकर्ता साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(viii) धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर अपीलकर्ता स्वयं अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

10. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष सक्षम न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. चूंकि यह आदेश अपीलकर्ता की जमानत पर रिहाई से संबंधित है, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का मामले की गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और अवर न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगी।

(शेखर कुमार यादव, न्यायमूर्ति)

18 मार्च, 2026

रवींद्र के. सिंह